

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मोती / 10/15

6.3.17

पत्रावली' पेश हुई। वकील उभयपक्ष अपनी
बहस उभयपक्ष खुली गई। वकील उभयपक्ष
वाद की कुदलता न हो एवं किसी पक्षकार के
वाद के निह्ताण तक हित प्रभावित न हो, इसलिये
विवादित भूमि के मोंके व रिवाड की यथास्थिति
बनाये रखने हेतु सहमत है।

अतः नए प्रार्थना पर निर्णित किया
जाकर उभयपक्षकारान को आस्थाद निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खंका
2444 रकबा 0.06 हेक्टर ग्राम शेवा की
ताफैसला हावा मोंके एवं रिवाड की-
यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फौसलशुमा होकर नंबर से
बन्द हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल काद-
रही



सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी (संमा०)